न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/13/2024	2024/27	15.03.2024	28.03.2025

1. चन्दो देवी पत्नी स्व0 श्री नानग राम उर्फ लाला,
2. मदन सिंह जादोन पुत्र स्व0 श्री नानग राम उर्फ लाला,
   निवासीयान ग्राम गाजीका तहसील व जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर, राजस्थान।

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध नामा0 सं0 1106 निर्णय दिनांक 30.06.1988 तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राज0।

उपस्थितः—
01—श्री संजीव मीणा, श्री जोगेन्द्र सिंह —वकील अपी0
02—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पो0

—:**निर्णय**:—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरुद्ध तहसीलदार अलवर के निर्णय दिनांक 30.06.1988 नामान्तकरण संख्या 1106 जिसके द्वारा वाके ग्राम अलवर तहसील व जिला अलवर स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांतर्गत आराजी खसरा नंबर 272 रकबा 12 बिस्वा, जिसका हाल खसरा नंबर 304 रकबा 15 ऐयर कायम हुआ है, का 1/12 हिस्सा राजस्व ग्राम अलवर नंबर तहसील व जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी अपीलांट संख्या 1 की सास एवं अपीलांट संख्या 2 की दादी बसन्ती पुत्री किशना शिकारी साकिन देह खातेदार की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। मु० बसन्ती का स्वर्गवास होने के बाद उसकी विरासत का इंतकाल संख्या 1106 दर्ज होकर दिनांक 30.06.1988 को रेस्पोडेंट द्वारा स्वीकार किया गया था। किन्तु उक्त इंतकाल में मु० बसन्ती के एकमात्र वारिस उसके पुत्र का नाम नानगराम के बजाय घर का बोलता नाम लाला दर्ज कर दिया गया, जिससे अपीलांटान के हक हकूक जायल होते हैं। अपीलांटान के पति/पिता श्री नानगराम पुत्र श्री मांगूराम का स्वर्गवास दिनांक 07.12.2014 को हो गया था, जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत है।

अपीलांटान स्व० श्री नानगराम उर्फ लाला के विधिक वारिसान हैं। अपीलांटान ग्रामीण लोग हैं। अपीलांटान एवं उनके पति/पिता श्री नानगराम को अपने जीवनकाल में राजस्व अभिलेख को देखने की पहले कोई आवश्यकता नहीं पड़ी तथा श्री नानगराम उर्फ लाला के स्वर्गवास के बाद अपीलांटान इसी विश्वास में थे कि विवादित आराजी उनके नाम दर्ज हो गई होगी तथा अपीलांटान स्व० नानगराम उर्फ लाला के जीवनकाल से ही अपीलांतर्गत आराजी पर बदस्तूर बेरोकटोक मौके पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अब दिनांक 19.12.2023 को जब अपीलांटान ने पटवारी हल्का से केसीसी कार्ड बनवाने के सिलसिले में सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने बताया कि अपीलांटान के नाम विरासत नहीं चढ़ी है तथा विवादित आराजी लाला के नाम दर्ज है तथा कहा कि आपके पति/पिता के नाम में फर्क आ रहा है, इसलिए आप इंतकाल की कार्यवाही हेतु तहसीलदार साहब के यहां जाओ,

अति० जिला कलक्टर (प्रथम),
अलवर (राज०)

जिस पर अपीलांट संख्या 2 ने दिनांक 21.12.2023 को रेस्पोडेन्ट के यहाँ विरासत इंतकाल दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया तथा प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र एवं ग्राम पंचायत झाहरखेड़ा द्वारा सरपंच का प्रमाण पत्र भी नानगराम उर्फ लाला की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया किन्तु उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिस कारण अविलम्ब ही यह अपील पेश है, जो कि उपरोक्त कारणों से अंदर अवधि स्वीकार किए जाने योग्य है जिस बावत प्रार्थना पत्र जेर दफा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत है।

अपीलांटान के पति/पिता का सही नाम नानगराम है, जिनका घर का बोलता नाम लाला है, जिसकी ताईद ग्राम पंचायत झाहरखेड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र से बखुबी होती है, जो संलग्न कर पेश है। मु० बसन्ती के स्वर्गवास के बाद पटवारी हल्का ने इंतकाल दर्ज करते समय आस पडोस में किसी से पूछकर अपीलांटान के पति/पिता का घर का बोलता नाम लाला दर्ज कर दिया। इसलिए उक्त इंतकाल को दुरूस्त कराया जाना आवश्यक है जिस हेतु यह अपील प्रस्तुत है। उक्त इंतकाल व राजस्व अभिलेख में अपीलांटान के पति/पिता नानगराम का नाम लाला गलत दर्ज रहने से अपीलांटान के नाम भी विरासत नहीं खुल पा रही है तथा अपीलांटान के हक हकूक जायल होते हैं। आलोच्य इंतकाल तहसीलदार अलवर का है, जिसके विरूद्ध अपील हाजा अदालत श्रीमान के श्रवण योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांटान स्वीकार की जाकर आलोच्य आज्ञा तहसीलदर (भू०अ०) अलवर बाबत इंतकाल संख्या 1106 दिनांक 30.06.1988 वाके ग्राम अलवर नंबर 1 तहसील व जिला अलवर को निरस्त फरमाया जावे व दुरूस्त कराते हुए स्वर्गीय मु० बसन्ती के एक मात्र वारिस उसके पुत्र का सही नाम लाला के स्थान पर नानगराम या लाला उर्फ नानगराम दर्ज कराते हुए पुनः इंतकाल दर्ज किए जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि तहत अदालत के द्वारा नामान्तकरण संख्या 1106 वाके ग्राम अलवर तहसील व जिला अलवर में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय में अपीलाण्ट का नाम वास्तविक नाम के स्थान पर बोलता हुआ नाम सहवन दर्ज हुआ है, जिसे शुद्ध किया जाना न्यायोचित है।

सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.1988 के विरूद्ध दिनांक 15.03.2024 को पेश की गयी है जो करीब 35 साल 08 माह 15 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया व वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन-मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर द्वारा दर्ज व स्वीकार नामान्तकरण संख्या 1106 दिनांक 30.06.1988 एवं पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न अपीलाण्ट का आधार कार्ड, नानगराम के नाम से जारी एस,बी,आई बैंक पासबुक, आधार कार्ड एवं नानगराम का मृत्यु प्रमाण पत्र में अपीलांटान के पति/पिता का वास्तविक नाम नानग राम अंकित है। अपीलांटान के पति/पिता का सही नाम नानगराम है जिसका घर का बोलता नाम लाला है, जिसकी ताईद ग्राम पंचायत झाहरखेड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र से बखुबी होती है। लाला व नानगराम एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल तस्दीक करते समय अपीलांटान के पति/पिता के वास्तविक नाम नानगराम पुत्र मंगू राम की सही जांच किये बिना नामान्तकरण तस्दीक किया गया है, जो एक विधिक त्रृटि है। अपीलांटान के पति/पिता का नाम लाला के स्थान पर

28/3/25

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

नानगराम दुरूस्त किया जाकर दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपी0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर का आदेश इन्तकाल सं0 1106 दिनांक 30.06.1988 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि नामान्तकरण में अपीलांटान के पति/पिता का वास्तविक नाम नानगराम नियमानुसार इन्द्राज किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)